

डिक्री व मुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या- 439/2024

1. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. बजरंगलाल पुत्र केसराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर हाल आबाद नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ वादीगण

बनाम

1. महीराम पुत्र पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. भंवरलाल पुत्र पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. गोमदराम पुत्र पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
4. राजू पुत्र पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
5. महावीर पुत्र पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
6. गोमती पुत्री पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
7. पेमा पुत्री पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
8. भागवन्ती पुत्री पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
9. शारदा पुत्री पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
10. सोना पुत्री पोमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ प्रतिवादीगण
11. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरेके हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राधे शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 13 एसवीएन के खाता संख्या 56/72 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व प्रतिवादीगण के पिता पोमाराम पुत्र गोपालराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व प्रतिवादीगण के पिता पोमाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें। वसब्ल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...1-4-2025...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया